(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2791—पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 10—6—2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला खरगोन, प्रकरण कमांक 24/अ—12/2014—15.

....

1—संजय पिता विजयकृष्ण महाजन
2—मुकेश पिता श्री विजयकृष्ण महाजन
दोनों निवासी आदित्य नगर खरगोन म0प्र0
3—दाऊलाल पिता श्री जगन्नाथ महाजन
पता नूतन नगर खरगोन म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1—विजय पिता श्री गोविन्द पाटीदार
2—कमल पिता श्री गोविन्द पाटीदार
दोनों निवासी ग्राम मेनगॉव तहसील व जिला खरगोन

..........अनावेदकगण

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक— आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 24/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—6—2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम आरामपुरा पटवारी हल्का नम्बर 47 स्थित भूमि खसरा नम्बर 11/2/5/3/5 रकबा 0.501 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ—12/2014—15 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 10—6—2015 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में प्रश्नाधीन भूमि से लगे सर्वे नम्बर 11/1/2/1 के कृषक ललीताबाई को सूचना पत्र जारी नहीं करते हुये पूर्व मालिक राजेश आत्मज द्वारका को सूचना पत्र जारी किया गया है, जबकि द्वारका द्वारा पूर्व में ही भूमि का विक्रय ललीताबाई को किया जा चुका था ।

(2) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रश्नाधीन भूमि से लगे सभी कृषकों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर सीमांकन किया जाना चाहिये, जबकि पडोसी कृषकों को बिना सूचना दिये उनके पीठ पीछे सीमांकन आदेश पारित किया गया है।

(3) अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में नियम 3(ग) के अनुसार लगे हुये सर्वेक्षण, संख्याकों, उपखण्डों या भूखण्डों को प्रदर्शित करवाये बिना भूखण्डों की जानकारी नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र नियमानुसार नहीं होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य था।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्वयं दिनांक 30–4–15 को सभी 26 आपत्तिकर्ता एवं हितबद्ध लोगों को विधिवत् सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन कराये जाने का आदेश दिये गये थे, परन्तु उन्हें बिना सूचना दिये सीमांकन किया गया है ।

(5) प्रकरण में लगे सूचना पत्रों से स्पष्ट है कि उनमें बाद में संशोधन किया गया है जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है ।

(6) तहसील न्यायालय द्वारा सर्वे कमांक 11/2 के सम्पूर्ण रकबे का सीमांकन नहीं किया गया है और ना ही स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया गया है ।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन प्रथमदृष्टया इसी बात से त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा सर्वे कमांक 11/2/5/3/5 रकबा 0.501 में से 0.016 हेक्टेयर भूमि जगदीश, 0.016 हेक्टेयर भूमि ओमप्रकाश एवं 0.016 हेक्टेयर भूमि सुनील को दिनांक 27–12–14 को विक्रय कर कब्जा देना

बताया गया है, जबकि सीमांकन प्रतिवेदन में तीनों का कब्जा होने का कोई वर्णन या जानकारी नहीं दी गई है ।

(8) सीमांकन प्रतिवेदन में जिन व्यक्तियों का आधिपत्य होना प्रतिवेदित किया गया है उन्हें सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न सूचना पत्रों को देखने से स्पष्ट है कि उनमें काटपीट की गई है एवं बाद में नाम जोडे गये हैं । इसके अतिरिक्त पंचनामें में जिन व्यक्तियों का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा दर्शाया गया है उन्हें विधिवत् सूचना दिया जाना प्रकरण से परिलक्षित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त पंचनामें से यह भी स्पष्ट नहीं है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किन स्थायी सीमाचिन्हों से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है और ना ही स्थायी सीमाचिन्हों की खोज की गई है, ऐसा पंचनामें से परिलक्षित होता है । स्पष्ट है कि इस संबंध में 2009 आरएन 161 जगदीश प्रसाद विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सीमांकन प्रथमतः संहिता की धारा 124 के अनुसार स्थायी सीमाचिन्हों से किया जाना चाहिये और स्थायी सीमांचिंहों के अभाव में निकट के सर्वेक्षण संख्या के सही चिन्हों से किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा सीमांकन में आवेदकगण सहित पड़ोसी कृषकों को भी सूचना नहीं दी गई है ।

इस संबंध में 2014 आरएन 69 बद्रीप्रसाद विरूद्ध रामस्वरूप जाटव तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

> "धारा–129 – सीमांकन – सटे हुये कृषकों को सूचना दी जाना चाहिये – सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् – प्रतिकूलरूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये ।"

इस प्रकरण में यह भी विचारणीय प्रश्न है कि प्रश्नाधीन भूमि का विकय अनेक व्यक्तियों को किया गया है और उनके द्वारा सीमांकन में आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है, परन्तु आपत्ति का तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् निराकरण अपने आदेश में नहीं किया गया है । अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में एवं उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10—6—2015 निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे विधिवत् सीमांकन दल का गठन कर हितबद्ध व्यक्तियों एवं पड़ोसी कृषकों व आपत्तिकर्ता को सूचना देकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—6—2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 2794—पीबीआर/2015 (ललीताबाई पति श्री जगदीश महाजन निवासी खरगोन तहसील व जिला खरगोन विरूद्ध विजय पिता श्री गोविन्द पाटीदार निवासी ग्राम मेनगांव तहसील व जिला खरगोन तथा एक अन्य) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूलप्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर